



## प्रसार शिक्षा निदेशालय

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, 342 304 राजस्थान (भारत)  
DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION  
AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR-342 304 RAJASTHAN (INDIA)

Prof. Ishwar Singh  
Director Extension Edu.

Phone: 0291-2573 008 (O)  
E Mail: deeaujodhpur@gmail.com

No. F.( )Estt./DEE/AU/Jodh/2021-22/69

Date:03.04.2021

### खुली निविदा सूचना 01 / 2021-22

प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा मुख्यालय पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सम्मिलित अधिकारियों, कर्मचारियों, विशिष्ट अतिथितियों तथा किसानों को चाय, नाश्ता और खाना एवं अन्य सामग्री प्रदाय हेतु जीएसटी में पंजीकृत, वाणिज्य कर विभाग में राजस्थान वेट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से खाद्य एवं सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लाईसेंस धारी फर्मों/निविदादाताओं से दर अनुबंध हेतु प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी <http://www.sppp.rajasthan.gov.in> तथा <http://www.aujodhpur.ac.in> पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु.)	धरोहर राशि (रु.)	आवेदन शुल्क (रु.)
1.	अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था	4,90,000 /-	9,800 /-	500 /-

निविदा संबंधित विभिन्न तिथियां एवं समय:-

क्र. सं.	निविदा प्राप्ति दिनांक	डी.डी. / दस्तावेज जमा करवाने की अंतिम दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	निविदा खोलने का स्थान
1.	05.04.2021 दोपहर 2:00 बजे से 19.04.2021 दोपहर 11:00 बजे तक	19.04.2021 दोपहर 12:00 बजे तक	19.04.2021 दोपहर 1:00 बजे	कार्यालय प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर


( निदेशक, प्रसार शिक्षा )



## खुली निविदा सूचना 01/2021-22


### अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु खुली निविदा के लिए संविदा की शर्तें

1. खाद्य सुरक्षा का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
3. दरें शब्दों व अंकों दोनों में लिखी जावेगीं। इनमें त्रुटियां या उपरलेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिये। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर की राशि को पृथक में दिखाना चाहिये।
4. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिये तथा उनमें सभी आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये तथा सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा (कार्टेज) या परिवहन प्रभारों का विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा तथा भोजन की सुपुदगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी।
5. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी)  
(क) निविदा के साथ 9,800/- (रूपये नौ हजार आठ सौ मात्र) की बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के पक्ष में डीडी के रूप में जमा कराई जानी चाहिये।  
(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money) असफल निविदादाताओं की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के पश्चात् लौटायी जायेगी।
6. भुगतान जब पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जावेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
7. सब्जी बनाने के लिये काम में लिया जाने वाला तेल मूंगफली/घी (ब्रांडेड) का होना चाहिए।
8. सभी सामग्री अच्छी किस्म की सामग्री से निर्मित होनी चाहिए।
9. भोजन आदि की व्यवस्था कार्य स्थल पर या उसके आस-पास बताई जगह पर करनी होगी।
10. भोजन थाली, कटोरी, चम्मच आदि की सफ़ाई करना होगा।
11. खाना 1 व 2 भोजन बोन चाइना क्रोकरी में परोसा जायेगा एवं प्लास्टिक क्रोकरी एवं डिस्पोजल का उपयोग नहीं किया जायेगा।
12. स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था ग्लास के साथ निविदादाता द्वारा ही की जायेगी। पानी आर. ओ. फिल्टर होना चाहिये।
13. चाय नाश्ते के लिये कप-प्लेट इत्यादी की व्यवस्था आवश्यकतानुसार निविदादाता को करनी होगी।
14. झूठे डिस्पोजल खाने-पीने के तुरंत बाद स्थल से हटाने होंगे।
15. निविदादाता द्वारा अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था हेतु न्यूनतम व्यक्तियों की शर्त मान्य नहीं होगी। कार्यालय द्वारा जब भी जितने व्यक्तियों के अलपाहार अथवा भोजन की व्यवस्था के लिए कहा जायेगा निविदादाता को व्यवस्था करनी होगी।
16. जिन निविदादाताओं की दरें क्रय कमेटी द्वारा अनुमोदित की जायेगी उन्हें समय-समय पर कार्यालय की मांग एवं आवश्यकतानुसार कार्य आदेश जारी करने पर अनुमोदित दर पर फर्म को आपूर्ति करनी होगी।
17. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में जब्त कर लिया जायेगा।
  1. जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
  2. जब निविदादाता संपूर्ण सफ़ाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
  3. प्रतिभूति निक्षेप को जब्त करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
18. प्रत्येक सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति पर 5 प्रतिशत अमानत राशि जमा करवानी होगी। धरोहर राशि को अमानत राशि में शामिल किया जा सकेगा।





19. फर्म/ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
20. आप द्वारा प्रस्तुत दरें आगामी 31.03.2022 तक मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है।
21. निविदादाता की न्यूनतम दरें स्वीकृत होने पर नियमानुसार एग्रीमेंट निष्पादित कर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
22. भोजन संबंधी समस्त सामग्री ईंधन, बर्तन, पानी आदि की निविदादाता को व्यवस्था करनी होगी।
23. निविदादाता द्वारा चाय व भोजन तथा सांय भोजन अपने स्तर से सम्पर्क कर देना होगा। चाय व भोजन अधिक बनाने पर उसकी जिम्मेदारी होगी।
24. निविदादाता द्वारा चाय व भोजन तथा सांय भोजन दिया जायेगा उस बाबत प्रतिदिन सुबह व सांय की पृथक-पृथक विवरणानुसार सूचना किसानों से हस्ताक्षर करवाकर कार्यालय में नियमित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
25. निविदादाता को उपयुक्त नियमित रूप से प्रस्तुत विवरण के आधार पर गणना कर सुबह व शाम की पृथक-पृथक वर्किंग लंच व डिनर भुगतान कार्यालय रिकॉर्ड से पुष्टि कर किया जायेगा।
26. क्रय कमेटी को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना बताये अस्वीकृत कर सकेंगे।
27. निविदा को दिनांक 19.06.2021 को 01:00 बजे बाद खोला जायेगा। यदि किसी कारणवश उस दिन का अवकाश रहता है अथवा निविदा नहीं खोली जाती है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।
28. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के पास सुरक्षित रहेगा एवं निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के निर्णय सर्वमान्य होंगे।
29. राजस्थान लाक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 में और उपरोक्त दी गई शर्तों में विराधाभास की स्थिति में आरटीपीपी एक्ट एवं नियम प्रभावी होगा।
30. किसी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर होगा।
31. बिक्री कर प्रमाण पत्र में खाद्य पदार्थ आपूर्ति का उल्लेख होना आवश्यक होगा।
32. निविदादाता का चाय, दोपहर का भोजन के लिए दरें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से देनी होगी।



निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय मोबाइल नम्बर

प्रसार शिक्षा निदेशालय,  
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

क्रमांक:- एफ( )/स्था./प्रशनि/कृ.वि./जोध./2021-22/

दिनांक: 03.04.2021


निविदा प्रपत्र

- कार्य का विवरण: अल्पाहार, चाय, कॉफी, एवं भोजन व्यवस्था हेतु दर संविदा।
- निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म/व्यापारी का नाम व पूर्ण पता.....  
.....दूरभाष नं.....
- आयकर स्थायी खाता संख्या.....
- टीन नम्बर.....
- जीएसटी पंजीयन क्रमांक.....
- हेल्थ विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा लाईसेंस संलग्न है।
- निविदा जिसको संबोधित की गई है - निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
- निविदा शुल्क की राशि 500- / की राशि डीडी .....दिनांक ..... जो निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के नाम जो जोधपुर में देय है। (संलग्न है)
- अमानत राशि का डीडी ..... जिसका क्रमांक..... दिनांक ..... जो निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के नाम जो जोधपुर में देय है। (संलग्न है)
- मैंने/ हमने निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तों तथा संलग्न निविदा की शर्तों एवं अतिरिक्त शर्तों को भलीभांति अध्ययन कर लिया है। जिसके लिये मैं/हम बाध्य हूँ/हैं उन्हें स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।
- मैं/हम निम्नलिखित कार्य को उनके सम्मुख अंकित दर (सभी करों एवं खर्च सहित) करने एवं देने को सहमत हूँ/हैं।
- निविदादाता द्वारा वर्णित की गई दरें दिनांक 31.03.2022 तक मान्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता की घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य का पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।



निविदादाता के हस्ताक्षर



अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु खुली निविदा के लिए आपूर्ति करें

निविदादाता का नाम:.....दिनांक.....

क्र. सं.	विवरण	दर (समस्त कर सहित)
1.	चाय 150 ml. कॉफी 150 ml.	
2.	चाय 150 ml. कॉफी 150 ml. मय बिस्किट (कुकीज)	
3.	चाय 150 ml. कॉफी 150 ml. मय नाश्ता (पोहा, उपमा)	
4.	वी.आई.पी. हाई-टी (ड्राई फ्रूट, केला, एक पीस मिठाई, नमकीन, के साथ में चाय/कॉफी)	
5.	<b>खाना-1 (बोन चाइना क्रोकरी के साथ)</b> 1. स्टार्टर (सूप) -01 2. ग्रेवी सब्जी -02 3. हरी सब्जी -01 4. दाल -01 5. मिर्ची कूठा/अचार 6. बटर चपाती/पूरी 7. चावल/पुलाव 8. रायता 9. पापड़ 10. ग्रीन सलाद 11. मिठाई -02 12. आईसक्रिम	
6.	<b>खाना-2 (बोन चाइना क्रोकरी के साथ)</b> 1. स्टार्टर (सूप) -01 2. ग्रेवी सब्जी -01 3. हरी सब्जी -01 4. दाल -01 5. मिर्ची कूठा/अचार 6. बटर चपाती 7. चावल/पुलाव 8. रायता 9. ग्रीन सलाद 10. मिठाई -01	
7.	<b>खाना-3</b> 1. हरी सब्जी -01 2. मिर्ची कूठा/अचार 3. दाल -01 4. चपाती/पूरी 5. मिठाई -01	

*Belmaria*

8.	खाना-4 ( देसी कार्यक्रम )	
	1. सब्जी	-01
	2. मिर्ची कूटा/अचार	
	3. चपाती/पूरी	
	4. चाय	-02
	नोट:-1. प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाली कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागी हेतु।	
	2. अनुमानित लागत रूपये 1,60,000/- एवं अधिकतम 45 व्यक्ति प्रति कार्यशाला के अनुसार	

*J. Kumar Singh*

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोबाइल नम्बर